

LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME "NANDPURI Ist" KH. NO-568/207 & 579/566 AT VILLAGE - CHAK GETOR, TEH.-SANGANER, DIST. -JAIPUR

J.D.A.

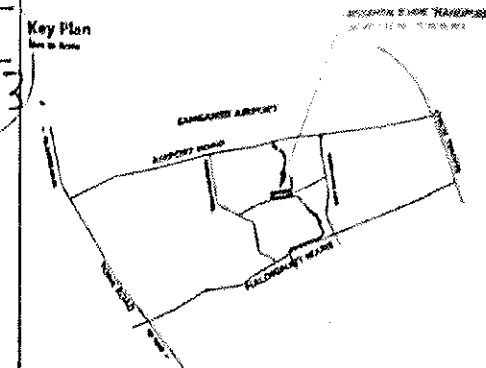
1358

B.

15.12.23

Key Plan

See A. Plan



Residential Scheme Area Analysis:-

S.No.	Land Use	Area (sq.mtr.)	Percent	
1	Residential	2374.80	62.50 %	64.00 %
2	Retail comm.	57.00	01.50 %	
3	Park	248.69	09.54 %	
4	L.W.M.	54.47	01.43 %	36.00 %
5	Utility	10.00	00.26 %	
6	Road	1055.04	27.77 %	
	Total area	3800.00	100.00 %	160.00 %

योजना की धीके जाँच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जीवन विकास योजना की राइको, गू-उपयोग एवं क्षेत्रफल हत्यादि से संशोधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

खेडीकटेड सलाहकार
फर्म का नाम एवम् छरतादर

नोट:-

योजना मानचित्र पर 22.08.23 तक हस्ताक्षर करने के अनुरोध किया गया है।

नोट

- योजना का अनुमोदन की को सी (एल.पी.) की 346 की 346 दिनांक 11.08.2023 को किया जा चुका है, जिसकी निर्णय की अनुमतिता ने योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- आवेदित भूमि की 60ए की कार्यावली दिनांक 27.03.2023 प्रकरण 110-2612/JDA/2022-23/2476 को हो चुकी है।
- योजना का भूमि व राशु-जमीनियत की धारा 90ए की कार्यावली अधिबृत्त अधिबृत्त द्वारा एवं सन्ने पर प्रमाणोपकरण सन्नेधन्यता द्वारा किया गया है।
- योजना का पूर्ण विशा ने ससरा ने 220 व स्थित 10 गु-नाल को मास्टर प्लान में दर्शित है, ने नियमानुसार जलिन की अधिबृत्त दिनांक 04.08.2023 के अनुसार 9 मीटर का बपर रखे जाने के कम ने नाल से 6 मीटर बपर रखते हुए लवन भाग को पार्क प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- टाउनशिप योजना 2010 के अनुसार सन्नेधन्यता निवास के एवज में अप्रैटन द्वारा भूखण्ड संख्या 01 व 02 कुल भूखण्ड 02 कुल क्षेत्रफल 304.10 वर्गमीटर है को जलिन में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के बंद रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकसकर्ता द्वारा विकसित करने पूर्ण होने पर या निवास शुल्क जमा करकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का गू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 व जानल डेवलपमेंट प्लान -02 के अनुरोध गू-1 (आवासीय) दर्शित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप योजना 2010 के अनुसार जारी किया जाने हेतु तैयार किया गया है।
- जमिन के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार धन किया जाना है।
- बीबीसी (एल.पी.) के निर्माण अनुसार क्षेत्रफल के भूखण्डों पर वेगमोडन एवं सैवबेनस जलिन (नियम) सन्नेधन्यता नियम 2025 के अनुसार रखा गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता

नाम-09

उप नगर नियोजक

नाम-09

वहसीलदार

नाम-09

उपसुवत

नाम-09

वरिष्ठ नगर नियोजक

की को सी (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

की को सी (एल.पी.)

Consultant



Sulabh Technical Services Pvt. Ltd.
B-85/A, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-15
9414066188, 9829147939
Email:- stsjpr15@gmail.com
website:- stsjpr.com

NAME OF SOCIETY:-

NRI KHATEDARI

NAME OF SCHEME:-

"NANDPURI Ist"

ZONE NO.-09

SECTOR NO.-

SCALE 1"=50'

DWG NO

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR